LETTER OF RECOGNITION

34

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक ‡ बेसिक ‡
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट मेरी क्रिश्चियन जूनियर हाई स्कूल,
शालीमार गार्डन, गाजियाबाद ।

पत्रांक सं॰ शि॰स॰/5325-२९/२८-९९ दिनांक १०-२-९९

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

माहोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29-1-99 मे लिये गये निर्णयनुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-16 एम‡7‡89 शिक्षा ‡6‡ अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 मे किये गये प्राविधानो के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धो के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल ‡ कक्षा 6 से 8 तक ‡ स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तों पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नही करा ली जाती ।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियो और शिक्षको को मिनिमम वेजज ऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।

3-विद्यालय मे छात्रो के चरित्र निमार्ण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की सम्पृति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशो का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

4-समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

5-शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयो की समस्त निधियो का लेखा उचित रूप मे रखा जायेगा । भवन शुल्क/ कैपिटेशनफीस के रूप मे कोई भी धनराशि विद्यार्थियो से लिया जाना वर्जित होगा ।

6-मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को प्राप्त हो रहे होंगे ।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।

कृ॰ पृ॰ उ॰

8–विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाई जायेगी । विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

9–विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चो का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

10–विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11–विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो के बच्चो एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

12–विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13–विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओ पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14–विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15–विभागीय आदेशो/नियमो की अवेहलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16–जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रो को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20×25 की माप के कक्षो का निर्माण कराये ।

भवदीय,

§ सहायक शिक्षा निदेशक §बे.§
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ0 सं0 शि. स./ /९८-९९ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियो की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–अपर शिक्षा निदेशक § बेसिक § उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद
3–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – – – – – – – –
4–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी – – गाजियाबाद –
5–शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र –गाजियाबाद –
6–क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – – – – – –
7– समाज कल्याण अधिकारी – – – – – गाजियाबाद

सहायक शिक्षा निदेशक § बेसिक §
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

प्रेषक : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सैन्ट मेरी क्रिश्चियन स्कूल, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद (गाजियाबाद)।

पत्रांक : आशु० / 10127 / दिनांक : 16-11-98

विषय : जूनियर बेसिक स्तरीय कक्षाओं की नवीन मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय/महोदया,

दिनांक 12-11-98 में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की मान्यता में विशेष परिस्थिति में मुख्यतः छात्रों के हित को दृष्टिगत करते हुए शैक्षिक सत्र 1998-99 प्रतिबन्धात्मक रूप में अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है । आप अनुपालन आख्या 30-6-99 तक निश्चित रूप से प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

1. पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत समिति के पंजीकरण का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाये ।
2. अभीष्ठ धनराशि सुरक्षित कोष में विनियोजित कर उसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पदनाम में प्रतिश्रुत किया जाये ।
3. विद्यालय के नाम निजी भवन हो जिसका पंजीकरण विद्यालय विशेष के नाम से ही इस भवन में निर्धारित माप के हवादार व प्रकाश युक्त कक्ष निर्मित हों । शिक्षित कक्षों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक व भण्डार कक्षों की व्यवस्था हो ।
4. विभागीय आदेशानुसार कम से कम दो हजार वर्गमीटर का निजी क्रीड़ा स्थल हो जो विद्यालय के नाम पंजीकृत हो व छात्रों के खेलने के लिए सुलभ हो ।
5. अध्यापक/कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती व सेवा शर्तें) प्रथम संशोधन नियमावली का पालन किया जाये ।
6. नियमानुसार सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से पूर्वानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही उसे सेवा से हटाया जाय । अप्रशिक्षित की नियुक्ति कदापि न की जाये ।
7. अध्यापक कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्ति शिक्षक/कर्मचारियों की भांति ही वेतन दी जाय व अन्य भत्ते जो समय समय पर देय हों दिये जायें ।
8. विभाग द्वारा निर्धारित 15-00 (पन्द्रह रू० मात्र) मासिक प्रति छात्र से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये । इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का दान, चन्दा व कोई अन्य शुल्क कदापि न लिया जाय । प्राप्त धनराशि की विधिवत् रसीद दी जाये ।
9. प्राइमरी कक्षाओं के साथ अमान्य कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये ।
10. आवश्यकतानुसार विज्ञान क्रीड़ा, शिक्षण एवं समाज उपयोगी सामग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये ।
11. निम्नहस्ताक्षरकर्ता की कार्यालय के अनुमति के बिना न कोई अनुभाग बढ़ाया, न ही समाप्त किया जाये ।
12. केवल विभाग द्वारा मान्य पाठ पुस्तकें ही पढ़ाई जायें ।
13. विभागीय नियमों का निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृष्ठ संख्या : आशु० / / तद् दिनांकित ।

प्रतिलिपि उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद / हापुड़ / पिलखुवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।